

कलियुक्त महोदय
रीवा संभाग, रीवा म० प्र०
17/03/12

240

2

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, म० प्र०

कमांक/201..



R- 929-I/12

रिजिस्ट्रार-रीवा

मान. 21/03/12
रिजिस्ट्रार-रीवा
कानून

रिजिस्ट्रार-रीवा
28-3-12

- 1- नागेश्वर प्रसाद तनय नबल किशोर ब्रा० उम्र 52 वर्ष, पेशा-नौकरी, निवासी ग्राम-मनकहरी, हाल मुकाम राजाधर, जिला-रीवा म० प्र०
- 2- श्रीमती कलावती पत्नी रामनिवास मिश्रा उम्र 68 वर्ष, जरिये मुख्तारआम राबेन्द्र मिश्रा तनय श्री रामनिवास मिश्रा, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम-मनकहरी, तहसील-रामपुर बाधेलान, जिला-सतना म० प्र०

-----अपीलार्थिगण

वनाम्

- 1- रामगोपाल तनय शारदा प्रसाद उम्र 85 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-मनकहरी, हाल मुकाम द्वारा महावीर मिश्रा समीप शासकीय जूनियर हाई स्कूल समान, जिला-रीवा म० प्र०
- 2- अनिल सिंह तनय रामदत्त सिंह कुर्मी उम्र 34 वर्ष, निवासी मनकहरी, तहसील थाना रामपुर बाधेलान, जिला सतना म० प्र०
- 3- राजाराम ब्रा० तनय जमुना प्रसाद ब्रा० उम्र 80 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी मनकहरी, तहसील-रामपुर बाधेलान, जिला-सतना म० प्र०
- 4- रमाशंकर तनय सीताराम ब्रा० उम्र 68 वर्ष, निवासी मनकहरी, तहसील-रामपुर बाधेलान, जिला-सतना म० प्र०

-----रेस्पॉडेन्टगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश
अनुविभागीय अधिकारी महोदय
रामपुर बाधेलान, जिला सतना के
प्रकरण कमांक 21/रीवा/11-1 आदेश
दिनांक 05-03-2012

सुरेन्द्र कुमार (डि.के.)

12/3/12

35
28/03/12

441
12/3/12

रामेश्वर (राबेन्द्र मिश्रा)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.929-I/12

जिला-रीवा

नागेश्वर प्रसाद / रामगोपाल वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">वा सदस्य</p>	